(3)

C.S. 151

(1)

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(एम.ए. नम्बर 1155 /2004) Single Bench

अपीलार्थी
अनावेदक क्रं.-1, ... / दि नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनीलिमिटेड
द्वारा/ सहायक प्रबंधक,
नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
शाखा कार्यालय, ताहा काम्पलेक्स
प्रियदर्शनी नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

P.R. No. 2141/02
Presented by Shri Anand Gupta
dated 8-9-04

---बनाम---

उत्तरवादी-गण
आवेदक-गण ... 1- गेंदीबाई पत्नि वीरसाय आयु 42 साल,
2- श्यामलाल आत्मज वीरसाय आयु 12 साल,
3- रामलाल आत्मज वीरसाय आयु 10 साल,
4- सुखमनिया पुत्री वीरसाय आयु 8 साल,
5- सहमनिया पुत्री वीरसाय आयु 4 साल,
क्रमांक-2 से 5 अवयस्क द्वारा वली मां गेंदीबाई
ग्राम कसकेला, सूरजपुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

उत्तरवादी
अनावेदक क्रं. 2 ... 6- शिवधनी आत्मज बिन्देश्वर आयु 38 साल,
जायसवाल, पेशा व्यापार,
साकिन बतरा, थाना जयनगर,
तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

अपील अन्तर्गत धारा 173 मोटर यान अधिनियम 1988

प्रकरण क्रमांक 9/2004, में द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सूरजपुरजिलासरगुजा द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा-140 मोटरयान अधिनियम में पारित आदेश दिनांकित 2/08/2004 के विरूद्ध अपील. जिसके द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया.

अपील मूल्यांकन 50,000/-

-2-

(19)

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक M.A.No. 1155/2004 **सन् 200**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	02.09.2005 Shri Anand Gupta, counsel for the appellant. I.A. No. 2316 of 2005: This is an application filed by the appellant for dismissal of this Misc. Appeal No. 1155 of 2005. Learned counsel for the appellant submits that this appeal was filed against the interim award whereas final award has now been passed, therefore, the appeal has become infructuous. This interim application is allowed. The appeal is dismissed as infructuous. Sd/- Sunil Kumar Sinha Judge	

SP/FS/2005 - 20,000